न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 89 / 2023 – निगरानी

1. श्री कन्हैया लाल पिता स्व० कालू लाल सेन निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्रीमति नन्दु देवी पत्नि किशन लाल सुथार निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तहसील भीलवाडा 2. सचिव ग्राम पंचायत गुन्दली कार्यालय ग्राम पंचायत गुन्दली तहसील भीलवाडा 3. सरपंच ग्राम पंचायत गुन्दली कार्यालय ग्राम पंचायत गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत गुन्दली द्वारा पटटा दिनांक 03.09.2019 को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन, कन्हैयालाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 12.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत गुन्दली द्वारा विपक्षीया संख्या 01 को जो पटटा दिनांक 03 / 09 / 2019 को जारी किया गया जो कि विधि एवं तथ्यों व कानून के विपरित जारी किया गया है जो निरस्त होने लायक है। ग्राम पंचायत गुन्दली के समक्ष विवादित स्थल जो कि रेकॉर्ड व मौका स्थल के अनुसार रास्ता है जिसके लिए पटटा जारी किया जाने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी मौका की स्थिति की जांच ग्राम पंचायत के वार्डपंचो द्वारा जांच नहीं कराई व पटटा जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का से भी यह रिपोर्ट प्राप्त की जाती है कि जिस स्थल का ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा रहा है वह भूमि ग्राम पंचायत की

24

नहीं करने दे रहे है जिससे प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत व राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या 01 एक जिस स्थल का पटटा प्राप्त किया वहां पर आबादी भूमि नही होकर रास्ता की भूमि है इस प्रकार रास्ता की भूमि में विपक्षीया संख्या 01 एक का बापी पटटा ग्राम पंचायत गुन्दली द्वारा दिनांक 03/09/2019 को जारी किया गया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार कि निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 एक नंदू देवी पत्नि किशन लाल सुथार के नाम पर दिनांक 03/09/2019 को जारी किया गया पटटा निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि पटवारी हल्का गुन्दली के मौका परचा दिनांक 19.01.2023 में अंकन किया हुआ है कि ग्राम गुन्दली के आराजी संख्या 882 व 829 में किशन पिता नन्दा सुथार, कैलाश पिता नन्दा सुथार, सत्तू पिता नन्दा सुथार, नारायण पिता सोहन सुथार के पक्के मकान बने हुये हैं। इसी मौका रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्रांक/एफ–2529/राजस्व/2023/193–195 दिनांक 02.02.2023 से नायब तहसीलदार कारोईकलां, भू अभिलेख निरीक्षक पान्सल, पटवारी हल्का गुन्दली को उक्त अवैध पक्का निर्माण को हटाये जाने बाबत् निर्देश जारी किये गये है। जिससे जाहिर होता हैं कि विपक्षी संख्या 01 को प्रश्नगत पटटा, आराजी संख्या 829 जोकि गे.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, उस पर ही ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया जो विधिक रूप से अमान्य हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परीक्षण से जाहिर आया कि मान. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पश्चिम भीलवाडा के प्रकरण संख्या 62/2009 निर्णय दिनांक 06.04.2013 के आदेश में भी यह अंकन हैं कि ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 829 आमरास्ते पर किसी तरह का निर्माण न करें एवं रोडिया डालकर कर अतिक्रमण नहीं करें व मार्ग को अवरूद्व नही करें तथा रोडिया तत्काल प्रभाव से हटावे। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय से भी यह जाहिर होता हैं कि ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 829 आम रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार भी ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 829 गे.मु. रास्ते के रूप में दर्ज हैं।

माननीय न्यायालय से एक्जीबिट 2 में नजरी नक्शे में आराजी संख्या 829 पर

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

बद्री भील एवं किशन सुथार का मकान बना होना अंकित किया हुआ हैं। एक्जीबीट 3 में पटवार हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2009 में भी आराजी संख्या 829 को रास्ते के रूप में दर्ज बताया गया हैं।

निगराकार द्वारा पटटा निरस्तीकरण हेतु उठाये गये सभी कथनों के खण्डन स्वरूप गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेजात/पत्र/परिपत्र/अन्य न्यायालय का कोई आदेश आदि प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर, गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से आराजी संख्या 829 जो कि गे.मु. रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं, में से पट्टा दिनांक 03.09.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत गुन्दली तहसील भीलवाडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 03.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गुन्दली तहसील भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)